


2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र


1. नाम- राकेश त्रिपाठी
2. वर्तमान पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली।
3. वेतनमान- J-5 (144840-194660), मूल वेतन- 1,94,660/-रु0
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 (माध्यम लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश)
6. विज्ञप्ति की तिथि- 15.11.2003 (विज्ञापन संख्या ए-2/ई0-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26.05.2006 (उ0प्र0शासन नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ, संख्या 2430/II-4-06-32(1) 2001 टी0सी0-1)
8. योगदान की तिथि- 16.06.2006 (अपर सिविल जज (जू0डि0) गाजीपुर)
9. जन्म तिथि- 10.04.1978
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 30.04.2038

मैं राकेश त्रिपाठी पुत्र श्री रवि राम त्रिपाठी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/X-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर   
नाम- राकेश त्रिपाठी  
पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली।  
दिनांक- 31.07.2024


घोषणा पत्र

मैं राकेश त्रिपाठी पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर   
नाम- राकेश त्रिपाठी  
पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली।  
दिनांक- 31.07.2024

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री राकेश त्रिपाठी पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/ नई पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

  
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति  
DISTRICT JUDGE  
BAREILLY